

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कं./ भा0भु0यो0/2017/130 पार्ट-1 /5068 भोपाल, दिनांक 17/02/2020
प्रति

नोडल जिला सचिव
कृषि उपज मंडी समिति - (समस्त)

विषय :- भावांतर भुगतान योजना की राशि भुगतान न होने से सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों का निराकरण न होने के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भा.भु.यो./2017/130/पार्ट-01/ 4702 दिनांक 04.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 4808 दिनांक 27.11.2019

विषयांतर्गत आपके जिले अन्तर्गत मंडी समितियों में मंडी समिति स्तर एवं लेवल 4 तक भावांतर भुगतान योजना से संबंधित सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतें लंबित हैं। जिनके निराकरणों के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन चाहा गया था, जो अप्राप्त है।


आपके जिले की मंडी समिति में लंबित सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत के संबंध में निम्न प्रपत्र में जानकारी तैयार कर दिनांक 29.02.2020 तक अनिवार्य रूप से बोर्ड मुख्यालय की भावांतर योजना शाखा में भिजवाये जाना सुनिश्चित करावें:-

मंडी समिति का नाम

क्रमांक	शिकायत क्रमांक एवं दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	मोबाईल नंबर	शिकायत का संक्षिप्त स्वरूप	निराकरण के संबंध में आपका अभिमत	रिमार्क
---------	---------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	---------------------------------	---------


हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर कराया जाना है जिससे शिकायत का निराकरण कर शासन को प्रगति से अवगत कराया जा सके।


उप संचालक (भा0भु0यो0)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कं./ भा0भु0यो0/2017/130 पार्ट-1 /5069 भोपाल, दिनांक 17/02/2020
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक (सी.एम. हेल्पलाईन), बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त /उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर। मंडी समितियों द्वारा लंबित सी.एम.हेल्पलाईन के निराकरण के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाकर अवगत नहीं कराया जा रहा है जिससे सी.एम.हेल्पलाईन की शिकायतों में वृद्धि हो रही है। कृपया नियत समयावधि में जानकारी भेजे जाने हेतु मंडी सचिवों को निर्देशित कर कार्यवाही प्रगति से अवगत करावें।


उप संचालक (भा0भु0यो0)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल